>

Title: Regarding refund of people’s money who invested in PACL Limited a Pearl Group company.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, पर्ल्स ग्रुप की पीएसीएल लिमिटेड, जो कि पूरे देश में भूखंड के नाम पर एकमुश्त जमा योजना एवं किस्त भुगतान के माध्यम से कार्य कर रही थी, इस योजना के माध्यम से कंपनी ने देश भर के गरीब, मजदूर, किसानों एवं मध्यम वर्गीय लगभग 6 करोड़ निवेशकों का लगभग 49,100 करोड़ रुपये जमा करवाया था । 21 अगस्त, 2014 को सेबी ने इस कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया था । AISO ने निवेशकों को पैसे वापस दिलाने हेतु उच्चतम न्यायालय में पक्ष रखा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी, 2016 को कंपनी की संपत्ति को नीलाम करके पैसे देने का आदेश दिया । मेरे संसदीय क्षेत्र के लगभग 2 लाख निवेशकों का पैसा भी इसमें लगा हुआ है । पैसे न मिलने के कारण निवेशक परेशान हैं । अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि PACL कंपनी की चल-अचल संपत्ति को नीलाम करके निवेशकों के जमा धन को वापस दिलाने का कष्ट करें ।